(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 316/2022 जी.सी.एम.एस वाद सं. 2022/477

1. रामानन्द पुत्र लालमण
2. महावीर पुत्र प्रहलाद
3. रामकिशन पुत्र प्रहलाद
4. रामचन्द्र पुत्र प्रभात
5. शान्ति देवी पत्नी प्रभात

जाति–अहीर निवासी–पांथरोली तहसील–बुहाना जिला–झुंझुनू

......................**आवेदकगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरीय तहसीलदार–बुहाना जिला–झुंझुनू
2. प्रसादाराम पुत्र भूराराम
3. सावित्री देवी उर्फ गुन्ति पत्नी रामनिवास
4. मोनिका पत्नी सुरेन्द्रसिंह
5. रूडाराम पुत्र लखमीराम
6. हरिसिंह पुत्र लखमीराम
   जाति–अहीर निवासी–पांथरोली तहसील–बुहाना जिला–झुंझुनू
7. हिमांशु पुत्र जगमोहन नाबालिग जरिये संरक्षक माता शर्मिला देवी पत्नी जगमोहन
   जाति–अहीर निवासी–पांथरोली तहसील–बुहाना
8. किशोर कुमार पुत्र लालचन्द
9. दयानन्द पुत्र लालचन्द
10. इन्दु देवी पुत्री लालचन्द
11. मिश्री देवी पत्नी स्व. लालचन्द
12. सन्तोष पुत्री लालचन्द
13. सुमन पुत्री लालचन्द जाति–अहीर निवासी पांथरोली तहसील–बुहाना जिला–झुंझुनू

......................**अप्रार्थीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:54 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र

धारा 111, 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांक :– 02.06.2025

(1). प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके–ग्राम पांथरोली तहसील–बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता स. 113 के खसरा न. 237 रकबा 2.46 है. कुल किला 1 कुल रकबा 2.46 है. भूमि का आवेदकगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।
2. यह कि आवेदकगण ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा न. 237 रकाबा 2.46 है. कुल किता 1 कुल रकबा 2.46 है. भूमि का सीमाज्ञान नपती दिनाक 27.05.2022 को हल्का पटवारी के द्वारा सभी पडोसी खेतो के खातेदार कब्जाधारी काश्तकारों की सहमती से उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया था तथा उसी समय हल्का पटवारी ने आवेदक के खेत की सीमा भी बताई थी तथा उसी अनुसार आवेदकगण व पडोसी खातेदार काबिज काश्त है लेकिन आवेदकगण के पड़ोसी खातेदार जो आवेदकगण के खेत की सीमा को कायम नहीं रहने देते हैं एवं आवेदक के खेत की मेड को तोड़ कर अपने खातेदारी कब्जेशुदा खेत में मिला कर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है।
3. यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 237 रकबा 2.46 है. कुल किता 1 कुल रकबा 2.46 है. भूमि का हल्का पटवारी पांथरोली की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 के अनुसार अपनी कृषि भूमि की पत्थर गढी करवाने का अधिकारी है। आवेदकगण ने दिनाक 27.05.2022 को हल्का पटवारी से अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थर गड़ी करने को कहा तो हल्का पटवारी ने पत्थरगढी करने में इन्कार कर दिया इसलिए यह आवेदन–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि आवेदकगण की कृषि भूमि के सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा आवेदकगण के विवादित खेत की पत्थरगढी करने से इन्कार कर देने से आवेदन–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ अतः आवेदन–पत्र अन्दर मियाद सेवामे पेश है।

अतः आवेदकगण की और में आवेदन–पत्र पेश कर अर्ज है कि वाके–ग्राम–पांथरोली तहसील–बुहाना में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 237 रकबा 2.46 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.46 हैक्टर आवेदकगण की भूमि की हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता मेड पर पत्थर गढ़वाने के आदेश पारित किया जाकर पत्थरगढी करवानी जानी की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण को तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सायल तामिल हुई। अप्रार्थीगण की सायल तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.03.2025 को अमल में लाई गई।

3). प्रार्थीगण की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2075-78, नकल ऑनलाइन नक्शा ट्रेस, नकल छाया प्रति प्रयोजन, नकल नक्शा शीट, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 पेश किए गए।

4). **बहस सुनी गई।** पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.05.2022 को तहसीलदार बुहाना के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि सीमा का कोई विवाद नहीं है। केवल सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करानी है। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 237 रकबा 2.46 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.46 हैक्टर आवेदकगण की भूमि की हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 का सीमाचिन्ह यथा पत्थरगढ़ी उभय पक्षकार की उपस्थिति में कायम कराए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 2/6/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना